

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक : एफ22(7)(4)बाअवि/कि.अ.वि./प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट,नियुक्ति/2017/1382

जयपुर दिनांक: 10/4/18

अधिसूचना

संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्यविभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 1(13)न्याय/2009 पार्ट दिनांक 03.04.2018 के द्वारा रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय का पत्रांक General/II/5/2016/301 दिनांक 22.02.2018 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना एफ 20(0) बा.अ.वि./कि.न्या.अ/कि.न्या. बोर्ड गठन/14/47218 दिनांक 03.03.2015 में आशिक संशोधन करने हुए, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत किशोर/किशोरियों के प्रकरणों में अधिनियम त संगत नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरापित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड, कोटा में प्रत्येक सप्ताह में दो दिवसों पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की बैठकें आयोजित कर अधिनियम एवं संगत नियमों के अनुरूप बोर्ड के निर्धारित कार्यों का संपादन किया जायेगा।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/5/2016/ 536

DATE : ...1./05/2018

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.District and Session Judge, Kota.
- 3.Chief Judicial Magistrate, Kota.
- 4.Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Kota.
- 5.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)